

दस्तावेज नं० 11-128 L.A. Act

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

N. 232  
21-5-18

मिसल नं० 203/18

दिनांक:- 21-5-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री हमपाल शर्मा

जति बोरी जम बोरी नि० बोरी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत बोरी दिनांक 21-5-2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा बोरी पंचायत समिति बोरी

में स्थित खाता संख्या 433 पर आराजी नं० 1281/1 कुल 01 बीघा 09 बिस्वा किता 1 योग रकबा 1-09 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि

काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी राजकुमार नि० बोरी ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम बोरी की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा बोरी में स्थित खाता संख्या 433 पर आराजी नं० 1281/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1-09 की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा बोरी में स्थित खाता संख्या 433 पर आराजी नं० 1281/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1-09 की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक अमित के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 500 प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

a  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर